System office

कार्यालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक / रिमाण्ड डयूटी / 2025 / 24 दिनांक :– 17.11.2025

:: रिमाण्ड डयूटी आदेश ::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **दिसम्बर, 2025 व दिनांक 01.01.2026** की अवधि के लिए कॉलम संख्या 2 अंकित अवकाश की दिनांको में संपूर्ण अजमेर न्यायक्षेत्र के लिए फौजदारी मामलों में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक प्रकृति के फौजदारी कार्यों की सुनवाई करने हेतु कॉलम संख्या–3 में अंकित पीठासीन अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है :–

कम संख्या	अवकाश की दिनांक	अधिकारी का नाम एवं पद
1	07.12.2025	श्रीमती पूर्णिमा शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट सख्या–05, अजमेर
2	13.12.2025 व 14.12.2025	श्रीमती हिमानी जैन, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन आई एक्ट प्रकरण), संख्या–2, अजमेर
3	21.12.2025	श्रीमती प्रतिभा सिंह राठौड, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन आई एक्ट प्रकरण) संख्या–1, अजमेर
4	01.01.2026	श्रीमती भावना सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट सख्या–06, अजमेर

नोट :–

01 उक्त रिमाण्ड डयूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्यदिवस के कार्यालय समय पश्चात् से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्यदिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी।

02 सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से समय 11:00 ए.एम. से 1:00 पी.एम. तक अपने न्यायालय में आवश्यक स्टाफ के साथ उपस्थित रहेंगे एवं शेष समय के लिए अपने निवास से उपरोक्त कार्य निष्पादित करेंगे।

(प्रकाश चन्द्र मीणा) 17.11.2025
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अजमेर
अजमेर · 11 · 25